

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 213/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

काशी राम पुत्र गोमदा राम जाति कुम्हार निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. गोमदाराम उर्फ गोविन्दराम पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील पल्लू।
2. रामचन्द्र पुत्र गोमदा राम जाति कुम्हार निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील पल्लू।
3. महेन्दी देवी पुत्री गोमदा राम जाति कुम्हार निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील पल्लू।
4. गोरा देवी पुत्री गोमदा राम जाति कुम्हार निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील पल्लू।
5. लीला देवी पुत्री गोमदा राम जाति कुम्हार निवासी चान्देड़ी बड़ी तहसील पल्लू।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास गोदारा वकील-वादी

श्री राजेश इन्दोरा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 21.5.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई रौही मोजा चान्देड़ी बड़ी के खसरा नं. 193 की 1.3020 है. 194 की 4.5520 है. 208 की 1.2140 है. 209 की 3.1870 है. 247 की 16.590 है. 289 की 7.9660 है. कुल- 34.8110 है. तहसील पल्लू की में से 1/2 हिस्सा भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है, के वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.5.2025

...को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर